राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(04)नविवि/मूलसागर(जैसलमेर)/2025 जयपुर, दिनांकः—यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर की प्रस्तावित फार्म हाउस योजना बनाने का निर्णय लिया गया। इस योजना में राजस्व ग्राम मूलसागर के खसरा संख्या 13 रकबा 23.9707 हैक्टेयर व खसरा संख्या 14 रकबा 24.1082 हैक्टेयर अर्थात कुल 48.0789 हैक्टर भूमि शामिल है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है :—

उत्तरः— खसरा संख्या 11, 12, 14/290, 13/289 व 13/313
दक्षिणः— खसरा संख्या 17 व 70
पूर्वः— खसरा संख्या 73
पश्चिमः— खसरा संख्या 15

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 48.0789 हैक्टर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
5. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, जैसलमेर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद्, जैसलमेर।
8. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2026.04.04 11:21:24 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21398134